उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)
न्यायालय बइजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S.

मुकदमा नं. 216/14 दावा　　　　　　　　　　　　　　　　　　निर्णय दिनांक 19.04.2017

1. छीतरलाल पुत्र धन्ना जाति माली निवासी गुंजारा।
2. रामदयाल पुत्र धन्ना।
3. गोपीबाई पुत्री धन्ना।
4. उर्मिला बाई पुत्री धन्ना।
5. नारायणीबाई विलोपित (02.03.2015।

—वादी

बनाम

1. हजारीलाल पुत्र मगनलाल जाति बैरवा निवासी आनन्दपुरा।
2. राजेशबाबू पुत्र मगनलाल जाति बैरवा निवासी आनन्दपुरा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादी

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88,188, आर.टी.एक्ट. एवं 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित —

श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया एडवाकेट — वादीगण की ओर से
श्री बद्रीलाल मेरोठा — प्रतिवादी नंबर 01 व 02
तहसीलदार कनवास — प्रतिवादी 03 राजस्थान सरकार की ओर से

निर्णय

वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा तहसील सांगोद वर्तमान तहसील कनवास में जमाबन्दी सम्वत 2032—2035 में धन्ना वल्द कालू कौम माली सा0 अतरालिया हाल गुंजारा के खाते में खाता संख्या 25 में खसरा नंबर 48 की 5 बीघा 17 बिस्वा आराजी के साथ खसरा नंबर 50/2 की 05 बीघा आराजी किस्म बारानी तृतीय स्थित थी, उसके पश्चात जमाबन्दी सवंत 2036—2039 में उक्त आराजी 50/2 को संशोधित कर नये खसरा नंबर 50/153 की 05 बीघा कायम किये जाकर वादी के खाते अन्य आराजी के साथ दर्ज कर दी गई। सत्यप्रति जमाबंदी संवत 2032—35 व 2036—2039 संलग्न वाद पत्र है।

यह कि सेटलमेंट संवत 2058 में उक्त आराजी के खसरा नंबर निम्न प्रकार परिवर्तीत किये जाकर पुनः वादीगण के पिता व पति धन्ना के फोत होने पर वादीगण के खाते दर्ज कर दी गई। मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

नये खसरा नंबर	नया रकबा	पुराना खसरा नंबर	पुराना रकबा
39	0.71 है0	50/153	5 बीघा
44	0.10 है0		

यह कि सेटलमेंट पूर्व के नक्शा ट्रैस में वादीगण की आराजी के खसरा नंबर 50/2 के पश्चिमी दिशा में खसरा नंबर 50/1 दर्ज था जिसके परिवर्तीत खसरा नंबर निम्नानुसार कायम किये गये।

नये खसरा नंबर	नया रकबा	पुराना खसरा नंबर	पुराना रकबा
42	1.01	50/1	12बीघा 15 बिस्वा
45	0.10 है0		
46	0.98		

यह कि उपरोक्त खसरा नंबर 42, 45, 46 सेटलमेंट बाद प्रतिवादीगण 1 व 02 के खाते दर्ज है।
यह कि सेटल मेंट पूर्व नक्शा ट्रैस पर गौर फरमाया जावे तो संलग्न नक्शा ट्रैस में पूर्वी तरफ खसरा नंबर 50/2 तथा पश्चिमी तरफ 50/1 दर्ज है। परन्तु सेटलमेंट बाद इनके परिवर्तीत नये खसरा नंबर को उसी भूमि पर दर्ज नंही कर अदल बदल कर दिये अर्थात खसरा नंबर 50/2 संशोधित 50/153 के नये परिवर्तीत खसरा नंबर 39 व 44 को पूर्वी तरफ दर्ज नंही कर को पश्चिमी तरफ दर्ज कर दिया तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 50/1 जो सेटल मेंट से पूर्व में पश्चिमी दिशा में था के नये परिवर्तीत खसरा नंबर 42, 45, 46 को पूर्वी तरफ दर्ज कर दिया अर्थात वादी की भूमि को जो पहले पूर्वी दिशा में की सेटलमेंट बाद के नक्शा ट्रैस में पश्चिमी तरफ दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी की भूमि के जो पहले पश्चिमी तरफ थी सेटलमेंट बाद पूर्वी तरफ दर्शा दिया।
यह कि सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की गई उक्त गलती को सुधार कराने के लिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि वह उक्त गलती को दुरूस्त हेतु माननीय न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश करें प्रतिवादीगण को भी जब सेटलमेंट में हुई इस गलत इन्द्राज का पता चला तो उसके मन में बद नियति आ गई और वह वादीगण की आराजी को अपनी बताकर कब्जा जमाने का प्रयास करने लगा इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जाना असंभव हो तो वादी को खसरा नंबर 39 व 44 की रकबा 0.81 हे0, के स्थान पर खसरा नंबर 46 की 0.81 है0, (पूर्वी तरफ) का खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण 1 व 2 को खसरा नंबर 39 व 44 की रकबा 0.81 हैक्टर का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। तथा अमल दरामद कराया जाकर अंतिम डिक्री पारित की जावे।
वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई, प्रतिवादी क्रम 01 व 02 ने दिनाक 12.04.2017 को इकबालिया जवाब पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की। प्रतिवादी नंबर 03 राज्य सरकार की ओर से भी दिनाक 23.11.2016 को फर्द आदेशिका के पृष्ठ पर जवाब अंकित किया कि दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नंही है तथा राजहित प्रभावित नंही है। दौराने वाद पत्र विचारण दिनाक 02.03.2015 को वादी नंबर 05 का नाम उसकी मृत्यु हो जाने से विलोपित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र, जवाब दावा व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि सेटलमेंट द्वारा नक्शा ट्रैस में खसरा नंबर को गलत दर्ज कर दिया गया है, तथा जिस जगह वादी का बंदोबस्त से पूर्व राजस्व रेकार्ड व नक्शे अनुसार स्वागित्व था उस पर प्रतिवादी का खसरा नंबर दर्शाया गया है, तथा जिस जगह प्रतिवादी का बंदोबस्त से पूर्व राजस्व रेकार्ड व नक्शे अनुसार स्वामित्व था, उस पर वादी का खसरा नंबर दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में सेटलमेंट द्वारा की गई गलती को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम किशनपुरा की खसरा नंबर 46 की 0.81 है0 पूर्वी तरफ आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है शेष 0.17 है0, भूमि पूर्वानुसार ही दर्ज रहेगी तथा खसरा नंबर 39 की रकबा 0.71 है0, व खसरा नंबर 44 की 0.10 है0, कुल 02 किता की 0.81 है0, आराजी का प्रतिवादी नंबर 01 व 02 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। मुताबिक निणर्य अंतिम डिक्री जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

(लहरी कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री अनुकरण इबारत

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास

बइजलास लहरी कुमार जैन ,R.A.S. जिला कोटा (राज.)

1. छीतरलाल पुत्र धन्ना जाति माली निवासी गुंजारा।
2. रामदयाल पुत्र धन्ना।
3. गोपीबाई पुत्री धन्ना।
4. उर्मिला बाई पुत्री धन्ना जातियान माली निवासीगण गुंजारा तहसील कनवास।
5. नारायणीबाई विलोपित (02.03.2015।

—वादी

बनाम

1. हजारीलाल पुत्र मगनलाल जाति बैरवा निवासी आनन्दपुरा।
2. राजेशबाबू पुत्र मगनलाल जाति बैरवा निवासी आनन्दपुरा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादी

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88,188, आर.टी.एक्ट. एवं 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

मुकदमा नं. 216/14 निर्णय दिंनाक 19.04.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू--ब--रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवाकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 की ओर से श्री बद्रीलाल मेरोठा एडवोकेट तथा पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम किशनपुरा की खसरा नंबर 46 की 0.81 है0 पूर्वी तरफ आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है शेष 0.17 है0, भूमि पूर्वानुसार ही दर्ज रहेगी तथा खसरा नंबर 39 की रकबा 0.71 है0, व खसरा नंबर 44 की 0.10 है0, कुल 02 किता की 0.81 है0, आराजी का प्रतिवादी नंबर 01 व 02 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** .. .बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.04.2017 सन 2017 को जारी की गई।

मोहर ....

लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----------NIL----------		स्टाम्प वकालतनामा	----------NIL----------	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक ...		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

श्री लहरी [illegible] जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा